

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैन्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन मय मानचित्र

नोट- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के पत्र संख्या 11-168 / 2009-एफ.सी. दिनांक 14.02.2012 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण का 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर निर्धारित कर प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। उक्त दर में वृक्षारोपण का तीन वर्ष तक रख-रखाव का प्राविधान होता है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त दर में वृक्षारोपण के 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राकलन में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

-----संलग्न है-----

वन क्षेत्र अधिकारी
वज्यूला (गड़खेत)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर बागेश्वर भाग, बागेश्वर

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैंड से जूनियर हाईस्कूल तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 2.50 कि.मी. के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.152 हे० के दुगुने 2.304 अर्थात् 2.300 हे० में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना।

- 1 परियोजना का नाम- जखेड़ा बैंड से जूनियर हाईस्कूल तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 2.50 कि०मी०
 2 पौधारोपण स्थल का नाम- ग्राम ~~जखेड़ा~~ ~~जखेड़ा~~ तहसील ~~जखेड़ा~~ जिला बागेश्वर सिविल सोयम भूमि - क्षेत्रफल 2.300 हे०
 3 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 2.300 x 1100 = 2530 पौधे
 4 रोपित की जाने वाली प्रजाति - हरड़, आवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, ववैराल, भीमल, सेठा आदि।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	घनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	2.30	97.00	223.10
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	2.30	584.00	1343.20
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 हे० को आधार मानकर)	2.30	7750.00	17825.00
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति हे० 84 घ०मी० औसत	193	315.00	60795.00
5	गड़दा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	2530	7.33	18544.90
6	निरीक्षण बटिया	2.30	485.00	1115.50
7	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	2530	5.89	14901.70
8	औजार तेज कराई		LS	400.00
	1- प्रथम चरण का योग			115148.40
1	गड़दा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	2530	1.15	2909.50
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष।	2530	1.15	2909.50
3	पौध डुलान कार्य (25 % नगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि०मी० सिरबोझ औसत पर)	2530	6.39	16166.70
4	पौधारोपण व थावलबंदी	2530	2.06	5211.80
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	2530	0.76	1922.80
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति सैकड़ा पौध।	2530	0.21	5.31
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 हे० पर)।	2.30	4768.00	10966.40
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	2.30	350.00	805.00
9	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.30	225.00	517.50
10	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.30	400.00	920.00
11	ब- प्रोत्साहन	2.30	200.00	460.00
12	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डेक्कमैन्टेशन आदि कार्य।	2.30	LS	700.00
	2- द्वितीय चरण का योग			43494.51
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.30	7152.00	16449.60
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	2.30	350.00	805.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.30	225.00	517.50
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.30	310.00	713.00
5	ब- प्रोत्साहन	2.30	200.00	460.00
	3- तृतीय चरण का योग			18945.10
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.30	7152.00	16449.60
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	2.30	350.00	805.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.30	225.00	517.50
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.30	310.00	713.00
5	ब- प्रोत्साहन	2.30	200.00	460.00
	4- चतुर्थ चरण का योग			18945.10
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	2.30	7152.00	16449.60
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	2.30	200.00	460.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.30	150.00	345.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.30	310.00	713.00
5	ब- प्रोत्साहन	2.30	200.00	460.00
	5- पंचम चरण का योग			18427.60

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	2.30	7152.00	16449.60
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	2.30	350.00	805.00
3	2.2 सुस्क्षा दीवाल/ घेरवाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.30	225.00	517.50
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.30	310.00	713.00
5	ब- प्रोत्साहन	2.30	200.00	460.00
6- षष्ठम चरण का योग				18945.10
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	2.30	7152.00	16449.60
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	2.30	350.00	805.00
3	2.2 सुस्क्षा दीवाल/ घेरवाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.30	225.00	517.50
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.30	310.00	713.00
5	ब- प्रोत्साहन	2.30	200.00	460.00
7- सप्तम चरण का योग				18945.10
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	2.30	7152.00	16449.60
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	2.30	350.00	805.00
3	2.2 सुस्क्षा दीवाल/ घेरवाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.30	225.00	517.50
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.30	310.00	713.00
5	ब- प्रोत्साहन	2.30	200.00	460.00
8- अष्टम चरण का योग				18945.10
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	2.30	7152.00	16449.60
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	2.30	350.00	805.00
3	2.2 सुस्क्षा दीवाल/ घेरवाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.30	225.00	517.50
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.30	310.00	713.00
5	ब- प्रोत्साहन	2.30	200.00	460.00
9- नवम चरण का योग				18945.10
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	2.30	7152.00	16449.60
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	2.30	350.00	805.00
3	2.2 सुस्क्षा दीवाल/ घेरवाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	2.30	225.00	517.50
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	2.30	310.00	713.00
5	ब- प्रोत्साहन	2.30	200.00	460.00
10- दशम चरण का योग				18945.10
महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)				309686.21
अर्थात् रु0				309686.00

वनक्षेत्र अधिकारी
बजयल (गडखेत)

उपप्रमानीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन प्रशासक वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रमानीय वनाधिकारी
प्रमानीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर